Sixteenth Loksabha

an>

Title: Need to impress upon Government of Bihar to conduct feasibility study of construction of Tirhut canal phase-II and protect the interests of farmers.

श्री अजय निषाद (मुजफ्फरपुर): हमारे संसदीय क्षेत्र मुजफ्फरपुर में तिरहुत नहर के दूसरे फेज के विस्तार का कार्य प्रारंभ कराने की प्रक्रिया चल रही है जिससे इस पूरे क्षेत्र के किसानों और आमजनों में व्यापक आक्रोश और विरोध है क्योंकि गांव और मुहल्ले तो उजड़ेंगे ही साथ ही किसानों को सिंचाई का अपेक्षित लाभ मिलने की संभावना भी नहीं है क्योंकि प्रथम फेज में बने नहर से आज तक उस क्षेत्र के किसानों को एक बूंद भी पानी नहीं मिला साथ ही इसकी उपयोगिता एवं तकनीकी फिजीबिलीटी पर सवाल खड़ा होने पर आगे का कार्य बंद कर दिया गया था। इसके 42 वर्ष के बाद पुनः इसके दूसरे फेज के विस्तार कराने की प्रक्रिया चल रही है। एक बात और भी काबिलेगौर है कि 42 वर्ष पहले जिस जमीन का अधिग्रहण हुआ उस पर आज की तारीख में भी किसानों का भौतिक कब्जा बना हुआ है और उन्हें नए कानून के तहत मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है। भूमि अधिग्रहण कानून 2013 की धारा 24 उप धारा (2) में स्पष्ट प्रावधान है कि 5 वर्ष या उसके पूर्व पुराने कानून 1894 के तहत अधिग्रहित भूमि पर यदि किसानों का भौतिक कब्जा हो तो अधिग्रहण लैप्स माना जाएगा।

मैं सरकार से मांग करना चाहूंगा कि किसानों के हितों के मद्देनजर बिहार सरकार को निर्देशित किया जाये ताकि 42 वर्ष बनी शहर नहर के कैचमेन्ट एरिया में सिंचाई के लाभ-हानि का भौतिक अध्ययन कराया जाए, पहले निर्मित क्षेत्र में डिस्ट्रीब्यूटरी आउट लेट बनाकर खेतों तक पानी पटवन सुनिश्चित कराया जाए, पहले निर्मित क्षेत्र का टोपोग्राफी कराया जाए, यदि लाभ दिखे और विस्तार लाजिमी हो तो भू-अधिग्रहण कानून 2013 के तहत सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रभावों का अधि निर्धारित भूमि अधिग्रहण मुआवजा एवं अनुसूचित जाति के परिवारों को सम्मान पुर्नवास सुनिश्चित कराया जाए।